17 10/19 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित थे।
पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।
प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य, जवाब
प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र तथा जवाब में वांछित
अनुतोषादि तथा पक्षकारान द्वारा अपने-अपने
कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात पर
सम्यक विचार किया गया।

हस्ब नकल जमाबंदी ग्राम तेल्याखेड़ी खाता
नं० 13, 15, 39, 399, 401, 403, 396, किता 7 रकबा
7.99 हे० अप्रार्थी 1, 2, व 7 के नाम पर दर्ज
है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया
प्रकरण नहीं है। हालांकि प्रार्थी का कथन
है कि वह अप्रार्थी नं. 1 व 2 का भाई है। (क्रमशः)

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	भूमि पुश्तैनी थी तथा अन्य भूमियों पर उसका नाम दर्ज कर दिया और उक्त वाद- गत भूमि पर उसका नाम छोड़ दिया था उक्त तथ्य साक्ष्य का विषय था वादगत उक्त वर्णित भूमि अराजी 1, 2, 7 के नाप दर्ज थी प्रार्थी का कथन है, कि उसका वादगत उक्त भूमि में 1/12 हिस्सा था परन्तु वादगत उक्त भूमि का हिस्सा 1/2 अराजी नं. 7 के नाप तथा 1/4 1/4 अराजी 1 व 2 के नाप था प्रार्थी का वादगत उक्त भूमि पर सैटल्ड पजेशन प्रमाणित नहीं था अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं था। प्रार्थी का कथन है, कि वादगत भूमि रामचंद्रजी पूर्व उसके पिता थे की संपत्ति है। रामचन्द्रजी के 6 वारिसान है, उसका हिस्सा 1/12 है। यदि दौरान वाद उक्त वादगत भूमि के खातेदारान द्वारा भूमि को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है, और वाद में साक्ष्योपरान्त यह प्रमाणित हो जाता है, कि उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/6 में 1/2 अर्थात 1/12 हिस्सा निहित है, तो प्रार्थी का वाद पेश करना ही बेकार हो जावेगा। इस प्रकार प्रार्थी को ऐसी क्षति होना संभाव्य	

17/[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

(क्रमशः)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है, जिसका मुद्रा के रूप में आँकलन संभव नहीं थी। बादग्रस्त भूमि पर वादी को या प्रकारान्तर पक्षकारान् को क्या स्वत्व प्राप्त है या होने चाहिये? इसका विनिश्चय इनवाद में सम्यक साक्ष्य तथा समुचित परीक्षणोपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है, न कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र या अप्रार्थीगण के जवाब के आधार पर। प्रकरण के गुणावगुण पर विचारणोपरान्त, पक्षकारान् के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ तथा वाद की एक विषय वस्तु को सुरक्षित तथा संरक्षित बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुये हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अंशतः स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं। अतः गुणावगुण के आधार पर प्रा० पत्र प्रार्थी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ग्राम तेल्याखेड़ी की भूमि ख. नं. 13, 15, 39, 399, 401, 403, 396 किता 7 रकबा 7.99 हेक्टर के हिस्सा 1/12 का रहन बेचान कुई कुई नहीं करें। अप्रार्थीगण के कब्जा हिस्से अप्रभावित रहेगें। उक्त निषेधाज्ञा इनवाद के निस्तारण पर्यन्त रहेगी। फाइल कोषक कुमार होकर इनवाद सि. के 21/18 के साथ संलग्न रखी जावे। निर्णय आज दि. 17.10.19 को सुनाया	

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुरमण्डी

Scanned by CamScanner